Website : www.alldstateuniversity.org E-mail ID- registrarasua@gmail.com

इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उ०प्र०
Allahabad State University, Allahabad, U.P.

पत्रांक: इ0रा0वि0वि0 / कु0स0का0 / 217 / 2016 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

कार्यालय–ज्ञाप

शिव श्याम महाविद्यालय, शहबाजपुर, हनुमानगंज, इलाहाबाद द्वारा प्रबन्धक व 18 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0–58222 / 2016 में पारित आदेश दिनांक 14.12.2016 में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क न लिए जाने के आदेश प्रदान किए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश निम्नवत् है:–

"Since the controversy raised in the present writ petition is similar to the Writ Petition No. 57582 of 2016 (Smt. Vimla Devi Mahavidyalaya Bhamai and 21 others Vs. State of U.P. and others), decided on 14-12-2016, therefore the present writ petition is also disposed of on the same terms."

माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के क्रम में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध याची महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के रूप में सत्र 2016–17 में सेमेस्टर एवं वार्षिक पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों से परीक्षा शुल्क नहीं लिए जायेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–1122 / सत्तर–1–201 दिनांक 17 नवम्बर 2014, रिट याचिका संख्या–768 / 2013 राम सजीवन सिंह महाविद्यालय जयन्तीपुर एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य तथा स्पेशल अपील सं0–289 / 2013 में पारित निर्णय व पं0 राम नगीना स्मारक महाविद्यालय, जोकहरा, आजमगढ एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य रिपोर्टेड इन 2014(11)ए0डी0जे0 74. में पारित निर्णयों के अनुसार विश्वविद्यालय को प्राप्त कराया जाये।

(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त प्रबन्धक, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय इलाहाबाद से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय।
2. वित्त अधिकारी, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय।
3. उपकुलसचिव, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद को उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं समस्त महाविद्यालयों की कालेज लॉगिन पर अपलोड कराने हेतु।
4. प्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद।
5. निजी सचिव कुलपति को कुलपति जी के सूचनार्थ।
6. श्री सरोज यादव, अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7. विश्वविद्यालय के सूचना बोर्ड हेतु।

कुलसचिव

MR.I.P
Do as required
21/12/16
DK